

राजस्थान सरकार

(कायदा - 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला - भीलवाडा (राज.)

2024/260

किस्म मुकदमा 1	नंबर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फैसला 4	पेशी दिनांक 5
111-128 प्रार्थना पत्र	163/24 163/24	23/05/24	10/6/24 [Signature]	

अनवान

श्री कमलेश कुमार पुत्र नगजीराम ब्राह्मण

श्री राजस्थान सरकार जरिघे तहसीलदार

निवासी माल का खोडा

निवासी बिजौलिया

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्त

अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रेषपोडेंट

डिक्रीदार

मदयून

श्री ओमप्रकाश पासीवाल

श्री

FORM NO. III

फर्द अहकम

(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

बिजौलिया

कमलेश

बनाम राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार

फिसल मुकदमा

111-128

नम्बर 163

/2024

सरोज
चम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो उस
हुकम की तारीख
में जारी हुए

3/05
/2024

प्रार्थना पत्र सीगे से बाद जांच पेश हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र जारी हों। पत्रावली वास्ते तलवी/जवाब दिनांक 06/06/2024 को पेश हों।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलिया

6/6/24

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 10/6/24 को वास्ते उ. भा. पेश हो:

तामील प्राप्त।

gurd
उपखण्ड अधिकारी

10/6/24

पत्रावली चेश हुई अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षीगण की बाद तामील प्राप्त हुई, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। फेरोंकार खरकार द्वारा किसी प्रकार की भावति नहीं की गई। पत्रावली में जोहरा पारित किए गए, तहसीलदार बिजौलिया को पाल्पान तहरीर जारी की गई। पत्रावली फेराल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर वाकिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलिया जिला-भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा(राजस्थान)

प्रकरण संख्या :- 163/24

तारीख दायर 23/05/24

1-कमलेश कुमार पिता नगजीलाल जाति ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी माल का खेडा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा(राज.)

-प्रार्थी

बनाम

1-भूमिधारी अधिकारी श्रीमान तहसीलदार महोदय बिजौलिया जिला भीलवाड़ा(राज.)

-विपक्षी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

:—आदेश:—

दिनांक 10/6/24

प्रार्थनापत्र कमलेश कुमार पिता नगजीलाल ने जरिये अभिभाषक श्री दीपक मीणा एडवोकट प्रस्तुत कर निवेदन है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते कि भूमि मौजा ग्राम भटखेडी पटवार क्षेत्र माल का खेडा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र श्यामपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा(राज.) में स्थित खाता संख्या 13 आराजी नंबर 25/13 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भूमि स्थित हैं। विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगड़ा फसाद करते हैं। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ मे प्रार्थनापत्र की ताईद में शापथपत्र संलग्न है।

प्रार्थनापत्र रजिस्टर करवाया गया है। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 जमाबंदी 2077 का अवलोकन से प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजियात का खातेदार /गैर खातेदार का तकार है। पड़ोसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न हैं। पत्थरगढी से किसी के स्वात्व पर कोई विपरीत प्रभाव नही पडता हैं।

अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया भूमि मौजा ग्राम भटखेडी पटवार क्षेत्र माल का खेडा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र श्यामपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा(राज.) में स्थित खाता संख्या 13 आराजी नंबर 25/13 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भूमि की बाशामालात पड़ोसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100/-रूपये राजकोश मे जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावे ।

प्रार्थनापत्र निर्णित हो कर नम्बर से कम हों।

आदेश सुनाया गया।



उप खण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा
बिजौलियाँ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा(राजस्थान)

प्रकरण संख्या :- 163/24

तारीख दायर 23/05/24

प्रेषिति:-

तहसीलदार

बिजौलियाँ

विषय :- प्रकरण संख्या 163/24 पत्थरगढी बाबत।

1-कमलेश कुमार पिता नगजीलाल जाति ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी माल का खेडा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा(राज.)

-प्रार्थी

बनाम
1-भूमिधारी अधिकारी श्रीमान तहसीलदार महोदय बिजौलिया जिला भीलवाड़ा(राज.)

-विपक्षी

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है कि भूमि मौजा ग्राम भटखेडी पटवार क्षेत्र माल का खेडा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र श्यामपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा(राज.) में स्थित खाता संख्या 13 आराजी नंबर 25/13 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भूमि की बशमलात पडोसीयान के पत्थरगढी की जावें। मौके पर पत्थरगढी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जारिये पत्थरगढी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक श्यामपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस नियमानुसार तय कि जाती है वक्त मौके पर प्रार्थीगण अदा करेंगा। पत्थरगढी करने से पूर्व पडोसी एवं विपक्षीगणो को सूचित करते हुए पत्थरगढी करें।

पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।



उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा
बिजौलियाँ